

**न्यायालय अवर न्यायाधीश, गोगरी  
आदेश**

यह वाद ग्रहण बिन्दु के सुनवाई पर खारिज किया गया है। आदेश  
अभिलेख के साथ संलग्न है।

लेखापित

अवर न्यायाधीश